प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2017

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के सृजित पदों को समाप्त करन उनके स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित किए जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1153/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2017, दिनांक 10 जुलाई 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ हेतु शासनादेश संख्या-58/71-2-2014-आर0एम0-3/2008, दिनांक 04-03-2014 द्वारा सृजित एसोसिएट प्रोफेसर (नेफ्रोलॉजी) एसोसिएट प्रोफेसर (मेडिकल आंकोलॉजी) एवं एसोसिएट प्रोफेसर (गैस्ट्रो मेडिसिन) (वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड पे 9000 (न्यूनतम वेतन रू0 42800/-), के 01-01 पद अर्थात कुल 03 पदों को समाप्त करते हुए, उनके स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित पद, अस्थायी रूप से दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	असिस्टेंट प्रोफेसर (नेफ्रोलॉजी)	01	वेतनमान बैण्ड-3 (रू0 15600-39100) एकेडमिक ग्रेड पे 8000 (न्यूनतम वेतन रू0 30000)
2	असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल आंकोलॉजी)	01	
3	असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट्रो मेडिसिन)	01	

2- उक्त पदों की अर्हता एम0सी0आई0 मानकानुसार निर्धारित की जायेगी। प्रश्नगत पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों/शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-58/71-2-2014-आर0एम0-3/2008, दिनांक 04 मार्च, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0325-डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1388/दस-2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-79/2017/2535(1)/71-2-17-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।